

From No. III
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा
फर्द अहकाम
(नियम 28)

जुम्मे खां बनाम दीनू वगै०

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज
 प्रार्थना पत्र -212 संख्या 172 वर्ष 2021

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुक्म की तारीख में
 जारी हुए


तारीख हुक्म

05.08.2021

आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केरा प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।

अतः अप्रार्थीगण को आगागी दिनांक 28.08.21 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 223/0.09, 195/0.20, 361/1.18, 439/0.59, 395/0.38, 154/0.35, 21/0.08, 331/0.12, 39/0.32, 436/0.22, 448/0.22, 461/0.22, 468/0.22, 66/0.02, 87/0.23, 211/0.16 है० वाके ग्राम मुरादबास पर मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

क्यों न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावे ? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ज अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्तें तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलवाने जारी करा पो० रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 तिजारा(अलवर)

पत्रावली प्रशासन गाँवों क सग अभियान-2021

कैम्प कोर्ट में पंचायत मुख्यालय..... 17/8/21

पर पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित

कोर्ट कैम्प में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका।

अतः पत्रावली पूर्व सिद्ध कार्यवाही हेतु दिनांक

17/8/21 को न्यायालय आजा में पेश हो

शिविर प्रभारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

एडवोकेट सहायक कलेक्टर, तिजारा (अलवर)

आज पत्रावली पेश हुई।..... 19/8/21

उपस्थित पत्रावली मूल वाद के साथ दिनांक

19/8/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

